

# कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष नम्बर-0771-2284044, ई.मेल-dwcdraipur@gmail.com

क्र. / मबावि / स्था. / 2025-26

रायपुर, दिनांक 21 / 01 / 2026

4346

// विज्ञापन //

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर के आदेश क्रमांक / 10815 / मबावि / मसमि / सखी-4 / 2024-25 नवा रायपुर, दिनांक 03.12.2024 के अनुसार "सखी" वन स्टॉप सेंटर का राज्य के नवीन जिलो में विस्तार तथा रायपुर में अतिरिक्त "सखी" वन स्टॉप सेंटर की स्वीकृति एवं संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा "पूर्व में संचालित "सखी" वन स्टॉप सेंटर शंकर नगर, रायपुर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन मेरिट से किया जाना है। इस हेतु पात्र महिला आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) उल्लेखित कार्यों / प्रदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है।

दिनांक 22.01.2026 से दिनांक 05.02.2026 तक ऑनलाईन आवेदन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के वेबसाइट <https://sakhionestop.e-bharti.in/> में कर सकते है, विवरण निम्नानुसार है:-

उक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवा शुल्क	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Rols & Responsibilities
1	पैरालीगल कर्मी / वकील 01 पद	01 अना.	18420 / - प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए कानूनी सलाहकारों की अनुपस्थिति में कानूनी परामर्श सेवा को किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास कानून में डिग्री हो / कानूनी प्रशिक्षण या कानूनी का ज्ञान हो और जिला स्तर पर किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय महिला संबंधित परियोजना / कार्यक्रम में काम करने का कम से कम 03 वर्षों का अनुभव हो या किसी ऐसे प्रेक्टिशनर वकील को जिसे किसी भी न्यायालय में मुकदमेबाजी का कम से कम 2 वर्षों का अनुभव हो।	<ul style="list-style-type: none"><li>वह महिला को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित और मार्गदर्शन करेगा और यदि महिला चाहती है तो उसे हुए दुष्कर्म / हिंसा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने में मदद / मार्गदर्शन करेगा।</li><li>वह महिला के मामले को अदालत में दायर करने के बाद भी उसका समर्थन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले का न्यायपूर्ण निष्कर्ष निकले, लोक अभियोजक या वकील के साथ समन्वय / संपर्क करेगा।</li></ul>

क्र	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवा शुल्क	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Rols & Responsibilities
1	पैरालीगल कर्मी / वकील 01 पद	01 अना.	18420 / - प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए कानूनी सलाहकारों की अनुपस्थिति में कानूनी परामर्श सेवा को किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास कानून में डिग्री हो / कानूनी प्रशिक्षण या कानूनी का ज्ञान हो और जिला स्तर पर किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय महिला संबंधित परियोजना/कार्यक्रम में काम करने का कम से कम 03 वर्षों का अनुभव हो या किसी ऐसे प्रेक्टिसनर वकील को जिसे किसी भी न्यायालय में मुकदमेबाजी का कम से कम 2 वर्षों का अनुभव हो।	<ul style="list-style-type: none"> <li>वह पीड़ित महिला महिलाओं के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और उन्हें अदालत की सुनवाई से छूट दिलाने की पैरवी करेगा।</li> <li>वह हिंसा की शिकार महिलाओं के बयान दर्ज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करके पुलिस और अदालत की प्रक्रियाओं को जल्दी और परेशानी मुक्त बनाने में मदद करेगा।</li> </ul>
2	सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड 03 पद	अ.ज.जा. 01 पद अना. 01 पद अ.जा. 01 पद	11360 / - प्रतिमाह (लेवल-1)	45 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8 वीं पास की हो और न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव शासकीय या प्रख्यात संगठन में जिला/राज्य स्तर पर सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। अगर सेवानिवृत्त सैनिक/पैरामिलिट्री कर्मी हो तो बेहतर होगा।	<ul style="list-style-type: none"> <li>वह किसी अन्य कर्मचारी को रेफरल में मदद करेगी और केंद्र प्रशासक के निर्देश अनुसार अन्य सहायक कार्य करेगी।</li> <li>सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड शिफ्टों में काम करेगी ताकि सखी में 24 घंटे सेवा सुनिश्चित की जा सके।</li> <li>सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड सखी की समस्त सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।</li> <li>वह सभी पूंजीगत संपत्तियों, फर्नीचर और उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।</li> </ul>

2

## उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तें:

### 2. आयु सीमा:-

1. उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
2. आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रतिलाना अनिवार्य है।
3. पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित अभ्यर्थी का शैक्षणिक दस्तावेज के सत्यापन हेतु संबंधित बोर्ड/वि.विद्यालय एवं अनुभव हेतु संबंधित संस्था को प्रेषित किया जायेगा यदि प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो अपराधिक प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।
7. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तत्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
8. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
9. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50/-रु. के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
11. आवेदन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में आवेदन किया जावे साथ ही वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

12. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा।
13. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
14. किसी भी प्रकार का शैक्षिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
16. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं चूटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
17. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन पोर्टल में आवेदन करना होगा।
18. आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवासी समाप्त की जा सकेगी।
19. उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर ऑनलाईन पोर्टल में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार कर चयन किया जायेगा।
20. योजना अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
21. इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
1. इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
2. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।

### 1. नियुक्ति प्रक्रिया:-

सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय गठित समिति के द्वारा किया गया।

- 3.11 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
- 3.12 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
- 3.13 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से भर्ती हेतु विज्ञापन ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा।

- 3.14 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 3.15 सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी हैं अथवा प्रक्रियाधीन हैं यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
- 3.16 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

#### 4. नियुक्ति की अवधि:-


- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 4.4 चयन के संबंध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 4.5 ऑनलाईन आवेदन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के वेबसाइट <https://sakhionestop.e-bharti.in/> में अवलोकन किया जा सकता है साथ ही विज्ञापन की विस्तृत जानकारी हेतु जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.) रायपुर में [www.raipur.gov.in](http://www.raipur.gov.in) पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

4347  
पृ.क्र./ /मबावि/स्था. /2025-26  
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, महिला एवं बाल विकास, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।

  
21/01/2026  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास  
जिला-रायपुर (छ.ग.)  
रायपुर, दिनांक 21 / 01 / 2026

  
21/01/2026  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप  
पूर्व में संचालित "सखी" वन स्टॉप सेंटर नवा रायपुर

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

स्वयं द्वारा  
अभिप्रेमाणित फासफोट  
साईज फोटो पर  
हस्ताक्षर जिसका  
अधा भाग फोटो एवं  
अधा आवेदन पत्र में  
होना चाहिए चरफा  
करें।

1. आवेदित सेवा का नाम :-.....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-.....  
(अंग्रेजी में) :-.....
3. पिता/पति का नाम :-.....
4. स्थायी पता :-.....  
:-.....
5. (पत्र व्यवहार का पता) :-.....  
:-.....दूरभाष / मो.नं.:-.....
6. जन्मतिथि (अंकों में) :-.....  
(शब्दों में) :-.....
7. दिनांक 01/01/2024 को आयु :-.....
8. लिंग पुरुष/महिला :-.....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति.....वर्ग.....
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं ? .....
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-.....
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :-.....

13. शैक्षणिक योग्यता—(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता :-.....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-.....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची—

1. जन्म तिथि हेतु 8वीं या 10 वीं की अंकसूची योग्यतानुसार।
2. 12 वीं अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
7. छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1.....2.....3.....

4.....5.....6.....

आवेदक का हस्ताक्षर  
एवं नाम

## // घोषणा पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:- .....

दिनांक:- .....

३